एएफआर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

SA (No.) 346 वर्ष 2019

1. लछिंदर मंडावी पुत्र स्वर्गीय महारू, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी ग्राम नारना, तहसील केशकाल, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़,

2. जयलाल पुत्र स्वर्गीय महारू, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम नारना, तहसील केशकाल, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़,

3. नंदू पुत्र स्वर्गीय महारू, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम नारना, तहसील केशकाल, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़,

4. भागो बाई पत्नी स्वर्गीय महारू, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी ग्राम नारना, तहसील केशकाल, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़,

—— **अपीलार्थीगण/वादीगण**

विरूद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. शंकर पुत्र स्वर्गीय लालसाय मंडावी, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम गवाधू, पुलिस थाना धनोरा, कोंडागांव, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़,

2. संतोष पुत्र स्वर्गीय लालसाय मंडावी, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम गवाधू, पुलिस थाना धनोरा, कोंडागांव, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़,

3. जयसिंह पुत्र स्वर्गीय लालसाय मंडावी, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम गवाधू, पुलिस थाना धनोरा, कोंडागांव, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़,

4. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कलेक्टर कोंडागांव, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़,

5. सहदेव मंडावी पुत्र स्वर्गीय लालसाय मंडावी, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम गवाधू, पुलिस थाना धनोरा, कोंडागांव, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़,

6. बाजोरोबाई पत्नी स्वर्गीय मनकूराम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम गवाधू, पुलिस थाना धनोरा, कोंडागांव, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़,

7. नाबालिग सदाउराम पुत्र स्वर्गीय मनकूराम, उम्र लगभग 15 वर्ष (नाबालिग), प्राकृतिक संरक्षक माता बाजोरोबाई पत्नी स्व. मनकूराम के माध्यम से, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम गवाधू, पुलिस थाना धनोरा, कोंडागांव, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़,

8. लछनी पत्नी स्वर्गीय मंचाराम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम सिलाटी, पुलिस थाना धनोरा, कोंडागांव, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़,

9. नाबालिग आसिम पुत्र स्व. मंचाराम, उम्र लगभग 17 वर्ष (नाबालिग), प्राकृतिक संरक्षक माता लछनी पत्नी स्व. मंचाराम के माध्यम से, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम सिलाटी, पुलिस थाना धनोरा, कोंडागांव, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़,

—— प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

(पक्षकारगणों के नाम सीआईएस से लिये गये)

अपीलार्थीगण के लिए श्री शोभित कोष्टा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी क्र. 1, 2 व 5 से 9 के लिए श्री पी.के. तुलसयाम श्री करण कुमार बहरानी, अधिवक्ता के साथ

तामिली के उपरांत भी प्रत्यर्थी क्र. 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं

राज्य / प्रत्यर्थी क्र. 4 की ओर से श्री रविपाल महेश्वरी, पैनल अधिवक्ता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

एकल खंडपीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय एस. अग्रवाल

बोर्ड पर आदेश

05.05.2023 :–

1) यह अपील वादीगण द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 *(जिसे आगे **सीपीसी** से संबोधित किया जाएगा)* की धारा 100 के तहत प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान जिला न्यायाधीश कोंडागांव के द्वारा एक अपंजीकृत अपील में दिनांक 08.01.19 को पारित आदेश की वैधता और औचित्यत्ता को प्रश्नगत किया गया है, जिसके द्वारा सिविल वर्ग न्यायाधीश वर्ग–2, केशकाल, जिला कोंडागांव के द्वारा सिविल वाद क्र. 7–ए / 2017 में दिनांक 07.09.18 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को समय बाधित मानते हुए खारिज किया गया है। पक्षकारों को यहां इसके उपरांत विचारण न्यायालय में उनकी स्थिति के अनुसार संबोधित किया जाएगा।

2) यह अपील निम्न विधि के सारवान प्रश्न के आधार पर स्वीकार की गई है :–

> **''क्या निचले अपीलीय न्यायालय के द्वारा अपील को समय सीमा के बिंदु पर खारिज किये जाने का निष्कर्ष विकृत है ?''**

3) संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि वादी के द्वारा एक वाद ग्राम सिल्हाट, तहसील केशकाल, जिला कोंडागांव स्थित विवादित भूमि खसरा क्र. 64 / 4, 64 / 11 व 78 / 20 रकबा क्रमशः 3.00, 6.00 व 1.30 एकड़ कुल रकबा 10.30 एकड़ के स्वत्व की घोषणा, स्थाई

निषेधाज्ञा के साथ–साथ अन्य अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया। वादीगण के अनुसार विवादित भूमि मूलतः उनके पूर्वज हितधारक चैतू के पास थी, जिनके दो पुत्र अमलू व महरू थे, जो वादी के पूर्वज हितधारक थे। यह भी आगे अभिकथित किया गया कि उनके पिता के बड़े भाई अमलू निःसंतान थे और इसलिये उसने प्रतिवादी क्र. 1 को नौकर के तौर पर नियुक्त किया और वादीगण का पिता त्यौहारों एवं अन्य अवसरों पर उसे अपने घर बुलाता, हालांकि इसका फायदा उठाते हुए उसने उनकी जानकारी के बिना राजस्व प्रपत्र प्राप्त कर अपने नाम नामांतरण करा लिया, इस कारण तत्काल प्रकृति में उन्हें यह मामला प्रस्तुत करने हेतु विवश होना पड़ा।

4) प्रतिवादी क्र. 1, 2 व 5 के द्वारा प्रतिवाद करते हुए अपने लिखित कथन में यह कहा गया कि विवादित संपत्ति कथित चैतू के पास थी, जिन्होंने उनके पिता लालसाय को उसे तीन वर्ष के पट्टे पर दिया था और तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी उनके द्वारा विवादित भूमि वापस लेने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई, इस कारण उन्हें उस पर निर्धारित भूमिस्वामी के अधिकार प्राप्त हो गये हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5) पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि वादीगण यह स्थापित करने में असफल रहे हैं कि वे उक्त चैतू के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए वे इसके स्वामी घोषित किये जाने के अधिकारी नहीं हैं और तदानुसार वाद खारिज किया गया।

6) उपरोक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर वादीगण के द्वारा एक अपील दिनांक 26.10.18 को 16 दिवस विलंब माफी के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई। इस आवेदन में यह अभिकथित किया गया कि उनके अधिवक्ता ने प्रश्नाधीन निर्णय के संबंध में उन्हें सूचित नहीं किया और न ही वह उनकी उपस्थिति में पारित किया गया और उनकी जानकारी में यह 04.10.18 को आया और तुरंत उसी दिन उनके द्वारा उसकी सत्य प्रतिलिपि के लिये आवेदन किया गया और इसके अनुसरण में उन्हें वह दिनांक 06.10.18 को प्रदान की गई। आगे यह भी अभिकथित किया गया कि यह अपील इसके तत्काल बाद दिनांक 26.10.18 को प्रस्तुत की गई, इस प्रकार कुछ दिनों का विलंब क्षमा किया जाना चाहिए। उक्त आवेदन का प्रतिवादीगण के द्वारा विरोध करते हुए यह कहा गया कि चूंकि विलंब का पर्याप्त कारण समुचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाना चाहिए।

7) अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब माफी बाबत प्रस्तुत उक्त आवेदन को निचले न्यायालय द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ आदेश पत्रिका दिनांक 07.09.18 के आदेश पत्र का हवाला देते हुए यह उल्लेख कर खारिज कर दिया कि चूंकि निर्णय उनकी उपस्थिति में सुनाया गया था और इसके बावजूद भी न्यायालय पर मिथ्या आरोप लगाये गये कि यह उनकी

उपस्थिति में पारित नहीं किया गया और आगे यह भी उल्लेख किया कि प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इस प्रकार वादीगण समय पर अपील प्रस्तुत न कर पाने का पर्याप्त कारण स्थापित कर पाने में असफल रहे हैं और इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए आवेदन अस्वीकार किया गया और परिणाम स्वरूप अपील को समय सीमा से बाधित होना मानते हुए खारिज कर दिया गया।

8) अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता श्री कोष्टा के द्वारा यह व्यक्त किया गया कि निचले न्यायालय के द्वारा यह निष्कर्ष कि अपील दायर करने में कुछ दिनों की देरी को माफ करने के लिये पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया गया, स्पष्ट रूप से विधि के विपरीत है। विचारण न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 07.09.18 का हवाला देते हुए यह कहा गया कि निर्णय सुनाये जाते समय वादीगण उपस्थित नहीं थे। क्योंकि वे अपने अधिवक्ता श्री दिनेश ध्रुव के माध्यम से उपस्थित हो रहे थे और इस प्रकार निचले अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष कि उनकी उपस्थिति के बावजूद वादीगण ने न्यायालय पर झूठे आरापे लगाये हैं उचित नहीं है, क्योंकि वास्तव में केवल ''डिक्री'' ही उनकी उपस्थिति में पढ़ी गई थी, लेकिन ''निर्णय'' नहीं, जैसा कि उक्त आदेश पत्र की सूक्ष्मता से जांच करने पर प्रदर्शित होता है। आगे उनके द्वारा यह भी कहा गया कि विद्वान निचले अपीलीय न्यायालय द्वारा धारा–5 परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत विलंब माफी के आवेदन पर उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, विशेषकर तब जब अपील दायर करने में कोई असामान्य देरी न हुई हो। ऐसा करने में असफल रहने से निचले न्यायालय द्वारा धारा 96 सीपीसी के तहत प्रस्तुत अपील में 16 दिनों के विलंब माफी को इंकार कर अवैधानिकता की है। अपने तर्कों के समर्थन में उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णयों **एन. बालकृष्णम विरूद्ध एम. कृष्णमूर्ति** रिपोर्टेड **ए.आई.आर. 1998 एससी, 3222** एवं **मेसर्स जी.एम. जी. इंजीनयरिंग इंडस्ट्रीज एवं अन्य विरूद्ध मेसर्स आई.एस.एस.ए. ग्रीन पावर साल्यूशन एवं अन्य** रिपोर्टेड **ए.आई.आर. 2015 एससी 2675** पर भरोसा किया गया।

9) वहीं दूसरी ओर प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा विद्वान अपील न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया, इसलिये इसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10) मेरे द्वारा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया और पूरे अभिलेख का सावधानी से परिशीलन किया गया।

11) मामले में आगे बढ़ने से पहले यह आवश्यक है कि विचारण न्यायालय की संबंधित आदेश पत्रिका दिनांक 07.09.18 का परीक्षण किया जावे, जो निम्नानुसार है :–

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

__07.09.2018__ वादी क्र. 01 से 03 सहित तथा 04 द्वारा श्री दिनेश ध्रुव, अधि. उपस्थित।

प्रतिवादी क्र. 01, 02, 05 तथा 08 सहित तथा क्र. 06 की ओर से बघेल अधि. उप.।

प्रतिवादी क्र. 03 व 04 एकक्षीय घोषित।

प्रकरण ''निर्णय'' हेतु नियत है।

*पृथक से निर्णय तैयार कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। तदानुसार **वादीगण का वाद निरस्त** किया गया।*

निर्णय के अनुसार आज्ञाप्ति बनायी जावें।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त।

नियत समयावधि के भीतर परिणाम दर्ज कर, प्रकरण के अभिलेखों को व्यवस्थित कर अभिलेखागार में, डिक्री पर हस्ताक्षर पश्चात भेजा जावें।

पुनश्चः –

__आज्ञाप्ति डिक्री तैयार की गई।__ उपस्थित पक्षकारों को पढ़कर सुनाया व समझाया गया।

उभय पक्षकारों को सूचना बाबत डिक्री सूचना बोर्ड पर लगाया जावें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उभय पक्षकारों को डिक्री पर यदि कोई आपत्ति हो तो तीन दिवस के भीतर इस न्यायालय में आपत्ति को पेश कर सकते हैं।

आज्ञाप्ति को हस्ताक्षर व दिनांकित करने हेतु तीन दिवस पश्चात् दिनांक 11.09.2018 की तिथि दी जाती है।

वास्ते डिक्री पर हस्ताक्षर हेतु नियत दिनांक 11.09.2018.

12) उपरोक्त आदेश पत्र मात्र का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि ''निर्णय'' दिनांक 07.09.18 को वादी क्र. 01 से 03 और उनके अधिवक्ता श्री दिनेश ध्रुव जो वादी क्र. 04 की ओर से भी उपस्थित थे, की उपस्थिति में घोषित किया गया, इसकी ''डिक्री'' इसके उपरांत सभी पक्षकारों की उपस्थिति में पढ़ी गई। यह भी प्रतीत होता है कि डिक्री को पढ़े जाने के पश्चात यदि कोई आपत्ति थी, तो उसे आमंत्रित किया गया और मामले को 11.09.18 को प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया, ताकि पक्षकारों की आपत्ति पर विचार करने के पश्चात डिक्री को तैयार किया जा सके। इस प्रकार निचले अपीलीय न्यायालय का यह अभिमत (observation) कि न्यायालय पर झूठा आरोप लगाया गया है, उक्त आदेशपत्रिका के समुचित सत्य परीक्षण आधारित प्रतीत नहीं होता है, बल्कि यह उक्त न्यायालय का अति तकनीकी दृष्टिकोण प्रतीत होता है।

13) जैसा भी हो, कोई भी दिनांक 11.09.18 को उपस्थित नहीं पाया गया और तदानुसार डिक्री दिनांक 11.09.18 को तैयार की गई। आगे यह भी प्रतीत होता है कि संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.18 को दिये गये फैसले की जानकारी होने पर वादी द्वारा इसकी सत्य प्रतिलिपि प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन उसी दिन दिया गया और इसके अनुसरण में इसे

दिनांक 06.10.18 को प्रदत्त किया गया और अपील इसके उपरांत दिनांक 26.10.18 को 16 दिन के विलंब माफी आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई।

14) अब इस स्तर पर यह आवश्यक है कि भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के निर्धारित प्रावधानों का परीक्षण किया जाये, जो निम्नानुसार हैं :—

> **5. विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण** — कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 21 के उपबंधों में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सके यदि अपीलार्थी या आवेदक, न्यायालय का यह समाधान कर दें कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिये पर्याप्त हेतुक था।
>
> **स्पष्टीकरण** — यह तथ्य कि अपीलार्थी या आवेदक विहित का अभिनिश्चय या संगणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्वति या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था, इस धारा क अर्थ के भीतर पर्याप्त हेतुक हो सकेगा।

15) उपरोक्त प्रावधान का परिशीलन करने से यह स्पष्ट है कि विधायिका ने **''पर्याप्त कारण''** को अपरिभाषित और अचित्रित छोड़ दिया है, क्योंकि एक मामले में **''पर्याप्त कारण''** क्या है, ऐसा दूसरे अन्य मामले में नहीं हो सकता है, इस प्रकार उक्त शर्त को लचीला रखा गया है और तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करते हुए न्यायालयों को मामले में तात्विक न्याय प्रदान करने हेतु अप्रतिबंधित विवेक प्रदान किया गया है। इस प्रकार विलंब को क्षमा किये जाने हेतु कोई तेज व कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता। सार यह है कि विवेक का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए और न्यायालय का दृष्टिकोण उदार व व्यवहारमूलक होना चाहिए न कि पांडित्य—प्रदर्शक।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16) उपरोक्त प्रावधान के आधार पर **''पर्याप्त कारण''** की अभिव्यक्ति को पक्षकारों को तात्विक न्याय प्रदान किये जाने के क्रम में उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए जब तक कि अपील अत्यधिक देरी से प्रस्तुत न की गई हो।

17) यहां इस मामले में प्रश्नाधीन निर्णय व डिक्री मात्र कुछ 16 दिनों के विलंब के लिये प्रश्नगत की गई, परंतु निचले अपीलीय न्यायालय के द्वारा उक्त संबंधित विचारण न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 07.09.18 की दोषपूर्ण व्याख्या करते हुए, जैसा कि उपर विश्लेषित किया गया है और अति तकनीकी दृष्टिकोण अपनाते हुए अन्य बातों के साथ—साथ यह निष्कर्ष देते हुए उक्त आवेदन को खारिज किया गया कि प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, यद्यपि अपील फाईल करने में विलंब को क्षमा करने बाबत उदार दृष्टिकोण पक्षकारों को तात्विक न्याय प्रदान किये जाने के क्रम में अपनाया जाना चाहिए, विशेषकर तब जबकि यह विलंब विचारण न्यायालय के द्वारा सिविल प्रकरण क्र. 7—ए/2017 में पारित निर्णय

दिनांक 07.09.18 व डिक्री दिनांक 11.09.18 के उपरांत अपील प्रस्तुत किये जाने में कुछ दिनों का हो।

18) सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **एन.बालकृष्णन विरूद्ध एम. कृष्णमूर्ति** (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण करना लाभकारी होगा, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पर्याप्त कारण को उदारतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए विशेषकर तब, जबकि विलंब असामान्य और दुराशयपूर्ण न हो। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 11 व 12 का सुसंगत भाग निम्नानुसार है :–

> ''11. परिसीमा के नियमों का अर्थ पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट करना नहीं है, उनका अर्थ यह देखना है कि पक्षकार विलंबकारी रणनीति का सहारा न लें, बल्कि तत्परतापूर्वक अपना उपचार खोजे। विधिक उपचार प्रदान किये जाने का उद्देश्य विधिक क्षति के कारण हुई क्षति की भरपाई करना है। परिसीमा संबंधी कानून विधिक क्षति के निवारण के लिये ऐसे विधिक उपाय के लिये एक जीवनकाल निर्धारित करता है। समय बहुमूल्य है और बर्बाद किया समय कभी वापस नहीं आता। समय बीतने के साथ–साथ नये कारण अंकुरित होंगे, जिनसे नये व्यक्तियों को विधिक उपाय खोजने हेतु न्यायालयों के शरण की आवश्यकता होगी। इसलिये प्रत्येक उपचार के लिये एक जीवन–काल निर्धारित किया जाना चाहिए। उपचार शुरू करने हेतु अंतहीन अवधि से अंतहीन अनिश्चितता और पारिणामिक अराजकता हो सकती है। इस प्रकार परिसीमा अधिनियम की स्थापना लोक नीति पर आधारित है। यह मैक्सिम इंटरेस्ट रिपब्लिका अप सिट फिनिस लिटियम *(यह जनकल्याण के लिये है कि मुकदमेबाजी के लिये एक अवधि तय की जाए)* में प्रतिष्ठापित है। परिसीमा के नियमों का अर्थ पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट करना नहीं है। उनका अर्थ यह देखना है कि पक्षकार विलंबकारी रणनीति का सहारा न लें बल्कि अपने उपचार तत्परतापूर्वक प्राप्त करें। विचार यह है कि प्रत्येक विधिक उपचार वैधानिक रूप से निर्धारित समयावधि के लिये जीवित रखा जाना चाहिए।
>
> 12. एक न्यायालय यह जानती है कि विलंब को क्षमा करने से इंकार करने से एक वादी को अपना मामला आगे बढ़ने से रोक दिया जाएगा। ऐसी कोई उपधारणा नहीं है कि न्यायालय की शरण लेने में देरी हमेशा जानबूझकर की जाती है। इस न्यायालय के द्वारा शकुनतला देवी जैन विरूद्ध कुंतल कुमार (एआईआर 1969 एससी 575) एवं (एआईआर 1972 एससी 749) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत शब्द **''पर्याप्त कारण''** को उदार दृष्टिकोण में ग्रहण किया जाना चाहिए ताकि तात्विक न्याय को अग्रसर किया जा सके।

19) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मेसर्स जीएमजी इंडस्ट्रीज एवं अन्य विरूद्ध मेसर्स आईएसएसए ग्रीन पावर साल्यूशन एवं अन्य** (उपरोक्त) के मामले में समान दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें **''पर्याप्त कारण''** के आशय व व्याख्या को पैराग्राफ 8 में निम्नानुसार दर्शित किया गया है :–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8– ''यह भलीभांति स्थापित है कि **''पर्याप्त कारण''** की अभिव्यक्ति उदार दृष्टिकोण में ग्रहण की जानी चाहिए ताकि तात्विक न्याय को अग्रसर किया जा सके। जब अपीलकर्ता पर कोई उपेक्षा, निष्क्रियता या सद्भावना की कमी आक्षेपित न हो, तो विलंब को क्षमा किया जाना चाहिए। विवेक का प्रयोग किसी अन्य न्यायिक विवेक की तरह सतर्कता और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। विवेक का प्रयोग किसी मनमाने, अस्पष्ट या काल्पनिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। असली परीक्षण यह देखना है कि आवेदक ने उचित कर्मठता के साथ काम किया है या नहीं।''

20) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, उपरोक्त मामलों में प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण /वादीगण के द्वारा संबंधित विचारण न्यायालय के सिविल वाद क्रमांक 7–ए/2017 के निर्णय व डिक्री की अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु पर्याप्त कारण दर्शित किया है। इस प्रकार विधि के सारवान प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

21) तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है और प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 08.01.19 जो निचले अपील न्यायालय द्वारा धारा 96 सीपीसी के तहत विचारण न्यायालय के सिविल वाद क्रमांक 7–ए/2017 में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपंजीकृत अपील में 16 दिवस के विलंब को क्षमा करने से इंकार किये जाने के संबंध में पारित किया गया, को इसके द्वारा अपास्त किया जाता है और मामले को इसके द्वारा विद्वान निचले अपीलीय न्यायालय को इस निर्देश के साथ वापस किया जाता है कि इसे रजिस्टर किया जाये और विधि अनुसार गुणदोषों के आधार पर इसका निराकरण किया जावे। पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित निचले अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.07.23 को उपस्थित रहें।

22) रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि संपूर्ण अभिलेख प्रेषित करें। कास्ट के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/..
(संजय एस. अग्रवाल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**